WWW.LIVELAW.IN

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 4796/2021

1. Seema Devi Daughter Of Shri Chandrabhan, Wife Of Hansraj, Aged About 34 Years, Resident Of Village Khor, Tehsil Neemrana, District Alwar (Raj). At Present Resident Of Pratap Singh Pura, Police Station Neemrana, District Alwar (Raj).
2. Hansraj Son Of Shri Kishori Lal, Aged About 31 Years, Resident Of Pratap Singh Pura, Police Station Neemrana, District Alwar (Raj).

----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.p.
2. Superitendent Of Police, Alwar (Rajasthan).
3. S.h.o Police Station Neemrana, District Alwar (Rajasthan).
4. Kishori Lal Saini Son Of Surajbhan, Aged About 65 Years, Resident Of Pratap Singh Pura, Police Station Neemrana, District Alwar (Raj).
5. Dinesh Son Of Kishori Lal Saini, Resident Of Pratap Singh Pura, Police Station Neemrana, District Alwar (Raj).
6. Kaluram Yadav Son Of Mohar Singh, Resident Of Village Janakpura, Police Station Neemrana, District Alwar (Raj).

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Rahul Tiwari for
Mr. Girish Khandelwal,
For Respondent(s) : Mr. Ganesh Saini, PP

HON'BLE MR. JUSTICE SATISH KUMAR SHARMA

(Downloaded on 09/09/2021 at 10:14:27 AM)

Order

16/08/2021

WWW.LIVELAW.IN

याचीगण की ओर से धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यह याचिका अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की प्रार्थना के साथ पेश की गयी है।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता याचीगण की दलीलें हैं कि याची संख्या–1 विधवा है, जो अपने पति की मृत्यु के बाद अपने तीन बच्चों के साथ अकेली रह गई थी। याची संख्या–2 पहले से विवाहित है, लेकिन वह अपनी पत्नी से अलग रह रहा है। दोनों के बीच सम्पर्क होने के पश्चात उन्होंने दिनांक 15.06.2021 को हिन्दू रीति–रिवाज से मंदिर में शादी कर ली है। वे अब पति–पत्नी के रूप में साथ रह रहे हैं, लेकिन प्रत्यर्थी संख्या–4 लगायत 6 इससे खुश नहीं हैं, धमकी दे रहे हैं, मारने पर उतारू हैं। याचीगण की जान खतरे में है, अतः उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान की जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने याचिका का विरोध किया है।

इस याचिका में पारित किये जाने वाला आदेश प्राईवेट रेस्पोडेण्ट्स के विरूद्ध प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा Smt. Aneeta & Anr. Vs. State of U.P. & Ors. (Writ C.No. 14443/2021) में प्रतिपादित विधिक स्थिति की रोशनी में पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से यह निर्विवाद स्थिति सामने आ रही है कि याची संख्या–2 पहले से शादीशुदा है। उसका अपनी पूर्व पत्नी से तलाक नहीं हुआ है, अर्थात पहली शादी कायम है। याची संख्या–1 विधवा अवश्य है, लेकिन उसके द्वारा पहले से शादीशुदा व्यक्ति से की गई कथित शादी प्रारम्भतः शून्य है। याचीगण के संबंध वैध live-in relationship की श्रेणी में नहीं आते हैं, बल्कि उनके ये संबंध शुद्ध अवैध एवं असामाजिक हैं। ऐसी दशा में उन्हें पुलिस संरक्षण का निर्देश दिया जाना उनके अवैध संबंधों को मान्यता प्रदान किया जाना और परोक्ष रूप से ऐसे अवैध संबंधों को सहमति देना है, जो विधिसम्मत नहीं है, अतः पुलिस सुरक्षा प्रदान करने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

(Downloaded on 09/09/2021 at 10:14:27 AM)

WWW.LIVELAW.IN

उपरोक्त के अलावा यदि याचीगण के साथ कोई अपराध कारित होता है तो वे विधि अनुसार संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने या अन्य उपलब्ध कानूनी उपचार प्राप्त करने को स्वतंत्र हैं।

उपरोक्त सम्प्रेक्षण के साथ प्रस्तुत याचिका खारिज की जाती है।

(SATISH KUMAR SHARMA),J

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Pradeep Thawani /41
RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

(Downloaded on 09/09/2021 at 10:14:27 AM)